न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 106/2021 बउनवानी बादाम देवी बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री देवीलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/300

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
23.12.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 27.9.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. दिनांक 16.7.2021 को मेरे द्वारा एक हक त्याग के संबंध में पत्र जारी कर निवेदन किया था कि मेरी माता जी रामचन्द्र पत्नि बिशना ग्राम अडूडी का विगत एक साल पूर्व निधन हो गया है। मेरा भाई रामसिंह पुत्र बिशना है रामसिंह बैरवा के नाम मेरे बाप की जमीन कृषि भूमि है उसमे मेरा नाम खातेदारी मे दर्ज करने हेतु निवेदन किया था। उक्त प्रकरण में आप द्वारा क्या कार्यवाही की गयी। यदि मेरे नाम नामा0 खोला गया है तो नामा0 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक भू.अ./21/7013 दिनांक 15.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट को उसके नाम खोले गये नामा0 की प्रमाणित प्रति जरिये पत्रांक 6996 दिनांक 14.12.2021 से भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनंक 27.9..2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना (अपीलान्ट के नाम खोले गये विरासत के नामा0 376 वाके ग्राम अडूडी की प्रति) तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 6996 दिनांक 14.12.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध करवायी गयी है किन्तु उक्त सूचना अधिनियम की तय सीमा के बाद उपलब्ध करवायी गयी है जो कि लोक सूचना अधिकारी की राजकार्य के प्रति लापरवाही एवं उद्यासीनता को दर्शाता है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उल्लंघन की श्रेणी मे आता है। अतःतहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना विलम्ब से देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कार्मिक की जिम्मेदारी तायद कर संबंधित दोषी के विरूद्ध नियमानुसार [illegible] प्रस्तावित कर जिला कार्यालय को भिजवावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से क्रम से एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:01:03 IST
Reason: SelfAttested